न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 125/2022 बउनवानी नाहर सिंह मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बामनवास
पुत्र श्री केदार लाल मीना, गांव झाडोली पो. रानीला तहसील बामनवास

GCMS No-2022/202

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.11.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 9.6.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. (अ) भूमि खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 1002,1003,1005,376,85 व 942 वाके ग्राम झाडौली
   (ब)भूमि खाता संख्या 47 ख0न0 34 बाढ झाडौली
   (स). भूमि खाता संख्या 48 ख0न0 30,90 बाढ झाडौली
   खाता धारक रामचरण, शिवचरण,केदार,श्योदान पुत्रान जैल्या के नामा. खोलते समय लगाये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति।
2. पैरा नम्बर 1 मे दिये गये खाताधारको मे से श्री रामचरण पुत्र जैल्या जो कि श्री जैल्या के वारिस नही है का नामा0 किस आधार पर व किन नियमो के तहत खोला गया है एवं उक्त व्यक्ति के नामा0 हेतु लगाये गये समस्त दस्तावेजो की छायाप्रति उपलब्ध करावे।
3. पैतृक भूमि के नामा0 खुलवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है सूची एवं नियम ओर कानून की छायाप्रति उपलब्ध करावे ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास के जवाब नोटिस कमांक /भू.अ./2022/664–65 दिनांक 4.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 9.6.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार बामनवास के पत्रांक/भू.अ./2022/663 दिनांक 4.112022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 9.6.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही [illegible] यद्यपि प्रश्नात्मक है किन्तु चाही गयी सूचना के संबंध मे लोक [illegible] को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है [illegible] को उप[illegible]रवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपील[illegible] है। पत्रावली फै[illegible]मार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर